XVII

प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक दिनांक 17–12–2011 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक दिनांक 17–12–2011 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. गंगा राम जाखड़	–	अध्यक्ष
2.	श्री दौलत राज नायक (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विधानसभा सदस्य)	–	सदस्य
3.	प्रो. एल. एन. गुप्ता (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
4.	प्रो. रविन्द्र शर्मा (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
5.	डॉ. एस.एस. टाक (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
6.	डॉ. सुरेश अग्रवाल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
7.	डॉ. आर. के. वर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय)	–	सदस्य
8.	डॉ. विमलेन्दु तायल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्राचार्य, निजी महाविद्यालय)	–	सदस्य
9.	श्री मनीराम (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य
10.	श्री एच.आर. इसरान (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य
11.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
12.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
13.	श्री राजेन्द्र सिंह कविया	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सभी सदस्यों द्वारा कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। सभी माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई प्रेषित की। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:–

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–17/2011/181

प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक दिनांक 22–10–2011 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा 16 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–17/2011/182
प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक दिनांक 22–10–2011 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– माननीय सदस्य डॉ. एस.एस. टाक द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये :–

(i) परीक्षा 2011 के दौरान अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणों का विस्तृत विवरण एवं नियमावली सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया, जो तद्नुसार प्रस्तुत किये गये।

(ii) टेबल एजेण्डा में क्रम (i), (ii) के स्थान पर अगला एजेण्डा नम्बर डालने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव को स्वीकार करते हुए तद्नुसार इसी बैठक के टेबल एजेण्डा में परवर्ती एजेण्डा संख्या अंकित किये गये।

(iii) एजेण्डा 179(ii) में 55 सेवानिवृत कार्मिकों एवं 50 संविदा श्रमिकों की सेवाओं की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को लिखे पत्र के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि राज्य सरकार से स्वीकृति के स्थान पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की सूचना प्रेषित करने हेतु ही पत्र लिखा जाना चाहिए। सदन ने सुझाव से सहमति प्रकट की एवं अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में ऐसे प्रकरणों में यथानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया।

उपरोक्त सुझावों एवं कार्यवाही के साथ 16 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–17/2011/183
सहायक कुलसचिव एवं सम्पदा अधिकारी के एक–एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.20(2)Edu.-4/2007 dated 08-12-2010 के द्वारा सहायक कुलसचिव एवं सम्पदा अधिकारी के एक–एक पद को नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा सीधी भर्ती से नियमानुसार भरने की स्वीकृति की अनुपालना में समाचार पत्रों विज्ञापन जारी किए जाकर आवेदन पत्र मांगे गए। सहायक कुलसचिव पद (आरक्षित महिला वर्ग) पर योग्य अभ्यर्थियों की संख्या (62) होने पर दिनांक 10–09–2011 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल रहे प्रथम 10 अभ्यर्थियों एवं सम्पदा अधिकारी पद के लिए प्राप्त सभी 4 पात्र अभ्यर्थियों को दिनांक 08–11–2011 को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। उक्त पदों के लिए संबंधित चयन समितियों द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों का दिनांक 08.11.2011 को साक्षात्कार कर सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

विचार–विमर्श :– सहायक कुलसचिव एवं सम्पदा अधिकारी के एक–एक पद हेतु साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत विवरण (योग्यता एवं अनुभव) सदन में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार–विमर्श किया गया।

निर्णय :– सहायक कुलसचिव एवं सम्पदा अधिकारी के एक–एक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा (छायाप्रति संलग्न) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी गई। चयन समिति द्वारा सहायक कुलसचिव

पद पर डॉ. मंजू सिखवाल एवं सम्पदा अधिकारी पद पर श्री कुलदीप जैन के चयन सम्बंधी प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए तद्नुसार उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–17/2011/184

अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक व वाहन चालक के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना :–

(i) अनुभाग अधिकारी पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय सेवा नियम 30(2) परिशिष्ट IV (2) के अन्तर्गत गठित समिति की अनुशंसा तथा माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 23–11–20011 की पालना में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक प. 03(01)मगंसिविबी/संस्था/2011/2858–2866 दिनांक 24–11–2011 के द्वारा श्री निर्मल भार्गव पुत्र श्री टी.एन. भार्गव को अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर रूपये 13050/– प्रति माह स्थिर वेतन पर (वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे 4200/–) नियुक्ति प्रदान की गई। श्री निर्मल भार्गव ने दिनांक 02–12–2011 को पूर्वान्ह में कार्यग्रहण कर लिया है। श्री भार्गव की अनुभाग अधिकारी पद पर नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है। नियुक्ति आदेश दिनांक 24.11.2011 की छाया प्रति संलग्न है।

(ii) निजी सहायक पद पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 22–10–2011 की पालना में आदेश क्रमांक 28392–405 दिनांक 31–10–2011के द्वारा श्री राजाराम विश्नोई पुत्र श्री जयसुखराम विश्नोई एवं श्री नवीन कुमार खत्री पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार खत्री को निजी सहायक के नवसृजित पदों पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर रूपये 11,100/– प्रतिमाह स्थिर वेतन पर (वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे 3600/–) नियुक्ति प्रदान की गई। इन्हे दिनांक 15–12–2011 तक कार्यग्रहण करना है। श्री विश्नोई एवं श्री खत्री की निजी सहायक पद पर नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है। नियुक्ति आदेश दिनांक 22.10.2011 की छाया प्रति संलग्न है।

(iii) वाहन चालक पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय सेवा नियम 30(2) परिशिष्ट – IV (4–संशोधित) के अन्तर्गत गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 22–10–2011 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(1) मगंसिविबी/संस्था/2011/28377–91 दिनांक 31–10–2011 के द्वारा निम्नलिखित वाहन चालकों की दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर रु. 6100/– प्रति माह स्थिर वेतन पर (वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 1900/–) नियुक्ति प्रदान की गई :–

(1) श्री शेर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह चौधरी
(2) श्री मुकेश सैनी पुत्र श्री उमराव सिंह
(3) श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री हनुमान राम चौधरी

उक्त तीनों अभ्यर्थियों ने दिनांक 01.11.2011 पूर्वान्ह में वाहन चालक पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। वाहन चालक पद पर उपरोक्तानुसार नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है। नियुक्ति आदेश दिनांक 31.10.2011 की छाया प्रति संलग्न है।

निर्णय :– उक्त नियुक्तियों की जानकारी प्रबन्ध मण्डल द्वारा Noted की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अगवत कराया कि निजी सहायक के पद पर नियुक्त श्री नवीन खत्री ने दिनांक 15.12.2011 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा

दूसरे अभ्यर्थी श्री राजाराम विश्नोई द्वारा वेतन संरक्षण एवं उनकी पूर्व सेवाओं को जोडने हेतु न्यायालय में वाद दाखिल किया गया लेकिन न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक कोई आदेश /निर्णय पारित नही किया है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त नियुक्तियों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माननीय कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–17/2011/185
डीम्ड विश्वविद्यालय/अनुदानित महाविद्यालय में सेवारत शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

(i) प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06.06.2011 में राज्य सेवा तथा राजकीय विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण का निर्णय लिया गया। इसकी अनुपालना में विश्वविद्यालय आदेश संख्या 10977–87 दिनांक 04.07.2011 तथा आदेश क्रमांक 12964–74 दिनांक 18.07.2011 के द्वारा राज्य सेवा तथा राजकीय विश्वविद्यालय सेवाओं में नियुक्त शिक्षकों (आचार्य, सह आचार्य तथा सहायक आचार्य) की विश्वविद्यालय में नियुक्ति पश्चात् वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी परिपत्र दिनांक 27.10.2009 व दिनांक 18.02.2010 में विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अंग्रेजी विभाग में नव–नियुक्त प्रो. एस. के. अग्रवाल ने प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 09.06.2011 एवं तत्पश्चात् दिनांक 29.06.2011 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अन्तिम आहरित वेतन को संरक्षित करने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की 15 वीं बैठक में प्रस्तुत करने पर विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/बोम–15/2011/171(ii) के द्वारा प्रस्ताव को स्थगित करते हुए इस प्रकार के प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 21793 दिनांक 12–09–2011 के द्वारा कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस तरह के प्रकरणों में वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं प्रचलित नियम/परिनियन आदि की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2102 दिनांक 07–10–2011 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा लिखा गया है कि "As per rules of fixation of pay of University employee as provided in University Hand book part-II vol.-III, the pay of a person, in which he/she was employed earlier in an University in India or an affiliated college in the University or in a research institute of higer leraning recognized as such by the University is protected."

प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के क्रम में तत्समय ही विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.20(4) शिक्षा–4/2004 पार्ट जयपुर दिनांक 20–10–2011 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12 (6) एफ.डी.(रूल्स)/05 दिनांक 13–03–2006 के अनुसार केवल उसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी के वेतन संरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त निर्णय हेतु वित्त विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.12(6)FD/Rules/05 दिनांक 13.03.2006 के क्रम में यू.ओ. नोट क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006Pt.1 dated 21 Sept, 2011 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा सलाह दी गई है कि संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्था के नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार से

स्वायतशाषी संस्था में अथवा एक स्वायतशाषी संस्था से दूसरी स्वायतशाषी संस्था में नियुक्त होने पर परिवीक्षा अवधि में कर्मचारी के विकल्पानुसार पूर्व पद पर प्राप्त किये जा रहे वेतन को संरक्षित किया जा सकता है। वित्त विभाग के यू.ओ. नोट में प्रस्तुत सलाह के अनुसार वेतन संरक्षण सम्बन्धी उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय सेवा नियमों में सम्मिलित करने हेतु पृथक् से एजेण्डा संख्या 186 प्रस्तुत है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.03.2006 एवं यू.ओ.नोट दिनांक 21.09.2011 में डीम्ड विश्वविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय से राजकीय विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्था में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।

(ii) विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2097–2107 दिनांक 07.06.2011 के द्वारा डॉ. प्रतिभा की नियुक्ति एसोसियेट प्रोफेसर–इतिहास के पद पर की गई थी। डॉ. प्रतिभा नियुक्ति से पूर्व दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर में अनुदानित पद (व्याख्याता–इतिहास) पर कार्यरत थी। इन्होने निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 218 दिनांक 29.07.11 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य के अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दिये गये विकल्प एवं उसके आधार पर दिनांक 01.07.2011 को आयोजित की गई सवीक्षा समिति की बैठक की अनुशंसा पर अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत रहे शिक्षकों को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सूची में इनका नाम क्र.सं. 29 पर अंकित है। इसी आधार पर श्रीमती प्रतिभा ने नियुक्ति पूर्व आहरित वेतन संरक्षित (Protect) करने का अनुरोध किया है।

अतः डॉ. एच. के. अग्रवाल, प्रोफेसर अंग्रेजी एवं श्रीमती प्रतिभा, ऐसोसिएट प्रोफेसर इतिहास के वेतन संरक्षण सम्बन्धी प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>विचार–विमर्श</u> :– उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल स्वंय से सम्बन्धित एजेण्डा होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन से बाहर रहे। प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों से वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में मत आमंत्रित करने पर अधिकांश सदस्यों की राय थी कि वेतन संरक्षण हेतु कार्यवाही किया जाना उचित रहेगा। विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्य डॉ. एस.एस. टाक ने सुझाव दिया कि एजेण्डा सं. 186 भी वेतन संरक्षण हेतु विश्वविद्यालय नियमों में संशोधन से सम्बन्धित होने के कारण दोनो बिन्दु सह सम्बन्धित है। इसलिए एजेण्डा सं. 186 के साथ संलग्न राज्य सरकार के सुझाव अनुसार नियमों में संशोधन के उपरांत ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना उचित रहेगा।

निर्णय :– सदन ने माननीय सदस्य के सुझाव से सहमति प्रकट करते हुए इस प्रस्ताव को स्थगित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। साथ ही एजेण्डा सं. 186 के सम्बन्ध में लिये गए निर्णयानुसार गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर उसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिंविबी/बोम–17/2011/186
राज्य सेवा/स्वायत्तशाषी संस्था से विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले कार्मिकों के वेतन निर्धारण/संरक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 06.06.2011 में राज्य सेवा/राजकीय विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्त अभ्यर्थियों की इस विश्वविद्यालय में नियुक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार इनका वेतन निर्धारण/संरक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। इसकी पालना में राज्य सरकार से बिश्वविद्यालय सेवा में नियुक्त कार्मिकों का वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.03.2006 (छाया प्रति संलग्न) के प्रावधानानुसार वेतन निर्धारण/संरक्षण किया जा रहा है।

वर्तमान में नियुक्तियों में परिवीक्षा अवधि में सिार पारिश्रमिक देने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के यू.ओ.नोट दिनांक 21.09.2011 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा राज्य सेवा/ स्वायत्तशाषी संस्था/बोर्ड में कार्यरत कार्मिक का किसी अन्य स्वायत्तशाषी संस्था/बोर्ड में नियुक्ति होने पर परिवीक्षा काल में वेतन निर्धारण/वेतन संरक्षण सम्बन्धी नियमों में निम्न प्रकार संशोधन कर अंगीकार करने की सलाह प्रदान की गई है :–

A Candidate who is already in regular service in the State Government/ PSU/Board/Local Authority/Institution if selected on any post by direct recruitment in any other PSU/Board/Local Authority/Institution or if selected in another post in same PSU/Board/Local Authority/Institution, may be given this option to get fixed remuneration of the new post or pay of the previous post held in State Government/PSU/Board/Local Authority/Institution, whichever is beneficial, during the period of probation provided that the pay paid to him/her shall not be more than the pay that he/she would be entitled to draw on the day of joining the new post had he/she joined the new post on the date that he/she joined the old post. After successful completion of probation period his/her pay may be fixed as per rules treating him as an existing employee.

विश्वविद्यालय में नवनियुक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धी नियमों में उक्त संशोधन को अंगीकार करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत विभिन्न संस्थानों से विश्वविद्यालय सेवाओं में आने वाले शैक्षणिक/अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु किन–किन स्थानीय निकायों/संस्थानों को शामिल किया जावें एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर नियमों में संशोधन प्रस्तावित करने हेतु प्रो. एल.एन. गुप्ता के संयोजन में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति में प्रो. रविन्द्र शर्मा एवं डॉ. विमलेन्दु तायल सदस्य होंगे तथा समिति द्वारा एक माह में रिपोर्ट/अनुशंसा प्रस्तुत की जाएगी, जो प्रबन्ध मण्डल बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–17/2011/187

सत्र 2010–11 में खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्पोटर्स किट राशि एवं प्रतिनिधि व टीम मैनेजर को दैनिक भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

(i) वर्ष 2010–11 में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान स्पोटर्स किट की खरीद समय पर नहीं हो पाने के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत राशि 1000/– रू. प्रति खिलाडी की सीमा में ही बाजार दरों के सत्यापन पश्चात् खिलाडियों को स्पोटर्स किट के स्थान पर किट राशि 865/– रू. का नकद भुगतान किया गया। स्पोटर्स किट के स्थान पर किट राशि के नकद भुगतान का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(ii) अन्तर विश्वविद्यालय खेल की प्रत्येक टीम के साथ जाने वाले प्रशिक्षक व टीम मैनेजर को देय दैनिक भत्ता राशि प्रत्येक विश्वविद्यालय में अलग–अलग निर्धारित है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर नें यह राशि 250/– रू. प्रतिदिन है। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में यह भत्ता राज्य सरकार के नियमानुसार देय है। प्रशिक्षक व टीम मैनेजर राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं थे इस अभाव के कारण इन्हें इस दर से भत्ता देना सम्भव नहीं था। सम्पूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षक व टीम मैनेजर को 120/– रू. प्रतिदिन के अनुसार दैनिक भत्तों का भुगतान किया गया, जो बीकानेर में देय दैनिक भत्ता 135/– रू. से कम है। अत सत्र 2010–11 में दिया गया दैनिक भत्ता 120/– रू. प्रतिदिन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(iii) प्रबन्ध मण्डल की 12वीं बैठक दिनांक 26.07.2010 के निर्णय सं. 130 के अनुसार अन्तरविश्वविद्यालीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाडियों को प्रतिदिन 150/– रू. तथा प्रशिक्षक व टीम मैनेजर को राज्य सरकार के नियमानुसार दैनिक भत्ता देय है। वस्तुतः प्रशिक्षक व टीम मैनेजर को देय दैनिक भत्ता अन्य विश्वविद्यालयों से काफी कम है जो राजस्थान विश्वविद्यालय में 250/– रू. प्रतिदिन एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में 180/– रू. प्रतिदिन है। सत्र 2011–12 से अन्तर विश्वविद्यालीय प्रतियोगिता में प्रशिक्षक व टीम मैनेजर का दैनिक भत्ता 200/– रू. प्रतिदिन की दर से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत वर्ष 2010–11 में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान स्पोटर्स किट के स्थान पर किट राशि 865/– रू. का नकद भुगतान एवं टीम के साथ जाने वाले प्रशिक्षक व टीम मैनेजर को 120/– रू. प्रतिदिन की दर से किये गये दैनिक भत्ता के भुगतान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही सत्र 2011–12 से अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रशिक्षक व टीम मैनेजर को महानगरों में 300/–रू. प्रतिदिन एवं अन्य शहरों में 200/– रू. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता स्वीकृत करने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–17/2011/188

राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा स्थाई सम्बद्धता हेतु जमा शुल्क को वापस लौटाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर पूर्व में राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर का ही एक भाग था। तत्समय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा डूंगर महाविद्यालय में संचालित एल.एल.बी. पाठ्यक्रम को सत्र 1995 में एवं एल.एल.एम. पाठ्यक्रम को सत्र 2001 में स्थाई सम्बद्धता जारी की गई थी।

सत्र 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत राज्य के समस्त महाविद्यालयों में संचालित विधि विभागों को पृथक से विधि महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के निर्देश प्रसारित किये गए। तद्नुसार सत्र 2005–06 में राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर की स्थापना हुई। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अध्यादेश 51(1), जो कि इस विश्वविद्यालय में भी लागू हैं, के अनुसार नवस्थापित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना आवश्यक है। तद्नुसार राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर के सम्बद्धता प्रकरण का विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त देय सम्बद्धता शुल्क हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बार बार पत्र व्यवहार करने पर राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर ने सत्र 2005–06 से 2010–11 तक का सम्बद्धता शुल्क राशि 450000/– रू. अपने पत्र क्रमांक 539 दिनांक 31.12.2010 के द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाया।

महाविद्यालय का सम्बद्धता अभिवृद्धि प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान ही महाविद्यालय ने अपने पत्र क्रमांक 69 दिनांक 27.09.11 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(1) शिक्षा–4/2011 दिनांक 30.06.11 की छायाप्रति संलग्न करते हुए) सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 4,50,000/– वापस लौटाने का आग्रह किया है। साथ ही स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र जारी करने हेतु लिखा है।

विश्वविद्यालय अधिनियम 51(1) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को निर्धारित सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना आवश्यक होने के कारण महाविद्यालय का शुल्क लौटाने का अनुरोध उचित प्रतीत नहीं होता, तथापि प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम 51 (1) के अनुसार समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को सम्बद्धता शुल्क जमा कराना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान में विधि महाविद्यालय पृथक ईकाई के रूप में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है इसलिए पूर्व में राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में विधि संकाय के रूप में प्राप्त स्थाई सम्बद्धता के कारण विधि महाविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क से छूट प्रदान नहीं की जा सकती। राज. विधि महाविद्यालय, बीकानेर को स्वतंत्र रूप से महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने पर ही प्रतिवर्ष सम्बद्धता शुल्क जमा कराने से छूट दी जा सकती है। अतः महाविद्यालय का सम्बद्धता शुल्क राशि लौटाने का अनुरोध प्रबन्ध मण्डल द्वारा अस्वीकार किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिंविबी/बोम–17/2011/189

विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत ज्ञापन के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

(i) अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति से भरने सम्बन्धी :

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.12.2010 के द्वारा अनुभाग अधिकारी के चार नवीन पद सृजित किए गए हैं। स्वीकृति आदेश में इन पदों को सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। इस विश्वविद्यालय में लागू महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार अनुभाग अधिकारी पदों को भरने की प्रक्रिया अनुसार कुल रिक्त पदों में से

34% पद सीधी भर्ती (विश्वविद्यालय कार्मिकों में से मेरिट के आधार पर) तथा 66% पद विभागीय पदोन्नति से भरने का प्रावधान है।

इसी के साथ 4 कार्यालय सहायक के नवीन पद सृजित होने पर विश्वविद्यालय में कार्यरत दो वरिष्ठ लिपिकों को अप्रेल, 2011 में कार्यालय सहायक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 22 एवं 32 (1) के परिशिष्ट–III (A) के अनुसार कार्यालय सहायक से अनुभाग अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय सहायक पद पर न्यूनतम 4 वर्ष का कार्यानुभव वांछित है, जबकि विश्वविद्यालय में पदस्थापित दो कार्यालय सहायकों को लगभग 8 माह का ही कार्यानुभव प्राप्त है। कर्मचारी कल्याण समिति ने अनुभाग अधिकारी पद के लिए वांछित कार्यालय सहायक पद के कार्यानुभव की अवधि में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(ii) विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय अग्रिम ऋण की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी :

विश्वविद्यालय कर्मचारियों की उक्त मांग पर पूर्व में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.04.2010 मे उपर्युक्त ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु कोष निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न निर्णय (संख्या मगंसिंविबी/बोम–11/ 2010/107) लिया गया था :–

प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से शर्तों एवं उपाबन्धों का निर्धारण करते समय उक्त सुविधा सम्बन्धी बिन्दु भी जोड़ा जा सकता है।

विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा उक्त मांग को प्रबन्ध मण्डल के सम्क्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने के अनुरोध पर प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) विश्वविद्यालय में विभिन्न अनुभागों में कार्यरत कार्मिकों को दो माह के वेतन के समान मानदेय राशि स्वीकृत करने सम्बन्धी :

विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों यथा कुलपति सचिवालय, संस्थापन, स्टोर, शैक्षणिक, आदि में कार्यरत नियमित एवं सेवानिवृत कार्मिकों को कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में कार्य सम्पादित करने की एवज में परीक्षा, 2010 तक दो माह का वेतन मानदेय के रूप में दिया जाता रहा है। अतः कर्मचारी कल्याण समिति ने पूर्व वर्षों के अनुसार ही उक्त कर्मचारियों को दो माह का मानदेय स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में परीक्षात्मक कार्यों के अतिरिक्त अन्य अनुभागों में कार्यरत कार्मिकों के द्वारा उन्हें आवंटित कार्य कार्यालय समय में ही किया जाता है जिसके लिए कोई मानदेय देय नहीं है। अतिरिक्त समय में परीक्षात्मक कार्य करने पर अन्य अनुभागों में पदस्थापित कर्मचारियों/अधिकारियों को भी निर्धारित दरों के अनुसार मानदेय दिया जाता है। मानदेय निर्धारण समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त प्रस्तुत अनुशंसा के आधार पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार अन्य अनुभागों में पदस्थापित कार्मिकों/सेवानिवृत कर्मचारियों को परीक्षा, 2011 के लिए दो माह का मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया।

कर्मचारी कल्याण समिति की मांग पर प्रकरण पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

विचार–विमर्श :– विचार विमर्श के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि इस विश्वविद्यालय में कार्यालय सहायक के पद सृजित नही होने के कारण म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थानान्तरित होकर आए दो कार्मिक लम्बे समय तक वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत रहे तथा पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके। माह दिसम्बर, 2010 में कार्यालय सहायक के पद स्वीकृत होने के उपरान्त दोनो वरिष्ठ लिपिकों को अप्रेल, 2011 में कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कार्यालय सहायक से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 4 वर्ष का कार्यालय सहायक का अनुभव होना आवश्यक है।

निर्णय :– (i) विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद (4) उपलब्ध होने तथा विभिन्न स्तरों पर श्रृंखलाबद्ध पदोन्नति अवसरों में वृद्धि होने के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुभाग अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय सहायक के रूप में वांछित 4 वर्ष के अनुभव अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए एक वर्ष का अनुभव होने पर पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान की। तथापि उक्त शिथिलता केवल एक बार के लिए ही प्रदान की जाती है जिसे भविष्य में उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा तथा उक्त शिथिलता उसी कार्मिक के लिए लागू होगी जिसे व.श्रे.लि. पद पर 15 वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त है। साथ ही अनुभाग अधिकारी के शेष स्वीकृत (2) पदों को विज्ञापन जारी कर खुली भर्ती से भरे जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(ii) विचार विमर्श के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि राष्ट्रीयकृत बैंक से कार्मिको को बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। द्वितीय इस सुविधा के लिए कर्मचारी एफ.डी. पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विश्वविद्यालय को देय ब्याज की राशि से एक प्रतिशत अधिक ब्याज देने को तैयार है।

निर्णय :–उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया कि कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण यथा वेतन श्रृंखला वार ऋण की राशि, पुनर्भुगतान की अवधि, ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया लेखों के रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव तैयार कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(iii) निर्णय :– विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिक एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रमों में परीक्षा शुल्क, अन्य देय शुल्क एवं स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों के भुगतान से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित नियमों का विश्लेषण कर प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखा जावें।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–17/2011/190

विश्वविद्यालय में प्रशासनिक वित्तीय एवं शैक्षणिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में गठित प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में कथित रूप से प्रशासनिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के परीक्षण हेतु प्रबन्ध मण्डल की 12 वीं बैठक दिनांक 26.07.2010 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1317–21 दिनांक 11.08.2010 के द्वारा प्रबन्ध मण्डल के निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया :–

1. डॉ. एस. एस. टॉक – संयोजक
2. प्रो. एल. एन. गुप्ता – सदस्य
3. डॉ. सुरेश अग्रवाल – सदस्य

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। रिपोर्ट सदन की टेबल पर प्रस्तुत की जाएगी।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सील बंद लिफाफों में जाँच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित है :–

(I) प्रशासनिक अनियमितता :–

(1) श्री जे.एस. खीचड़ की उपकुलसचिव पद पर नियुक्ति :–

समिति अनुशंसा :– इस सम्बन्ध में समिति का निष्कर्ष है कि श्री खीचड़ को 5 वर्ष से अधिक का प्रशासनिक अनुभव था। अतः श्री खीचड़ विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अनुरूप न्यूततम योग्यता धारण करते थे। जहां तक यह प्रश्न है कि अन्य अभ्यर्थी श्री खीचड़ से अधिक योग्य थे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चयन समिति के बुद्विमता को प्रश्नगत नही किया जा सकता है। जहां तक श्री खीचड़ के बिना कार्यमुक्त हुए पदग्रहण करने का प्रश्न है यह कहना पर्याप्त होगा कि उन्हे 13–10–2005 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। इस कार्यमुक्ति आदेश में यह उल्लेखित था कि उनके पूर्व विभाग से त्याग पत्र उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन श्री खीचड़ उपकुलसचिव के पद पर कार्यग्रहण करते है। इसलिए इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा समिति की राय से सहमति व्यक्त की। अतः अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) श्री राघव पुरोहित की कुलपति के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति तथा उनकी प्रतिनियुक्ति :–

समिति अनुशंसा इस सम्बन्ध में समिति का कथन है कि श्री राघव पुरोहित को साक्षात्कार की तिथि तक तीन वर्ष का स्टेनों ग्रेड– प्रथम का अनुभव नही था जो कि उस पद के विज्ञापन में वांछित न्यूनतम योग्यता थी। श्री पुरोहित साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के योग्य नहीं थे। अतः श्री पुरोहित का निजी सचिव के पद पर नियुक्ति अनियमित है। यह प्रबन्ध मण्डल पर है कि वे निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के बारे में उचित निर्णय ले या उनकी सेवा को उनकी योग्यता के अनुरूप उपयुक्त पद पर नियमित करे। जहां तक श्री पुरोहित की प्रतिनियुक्ति का प्रकरण है इसको अलग से अन्य प्रकरणों के साथ निर्णित किया गया है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल ने विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि श्री राघव पुरोहित को उनकी तात्कालीन योग्यता के अनुसार पद का विकल्प प्रस्तुत करने के

लिए आदेशित किया जावें और यदि वे इसको स्वीकार करते है तो उनकी नियुक्ति उस पद पर कर दी जावें।

(3) श्रीमती सुनीता चौधरी की सहायक कुलसचिव पद पर नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति :–

समिति अनुशंसा :– इस सम्बन्ध में समिति की राय है कि श्रीमती सुनीता चौधरी पीएच.डी. योग्ताधारी है जिसकी गणना शोध अनुभव के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त पीएच.डी. के उपरान्त उन्हे दो वर्ष के शोध कार्य का अनुभव भी प्राप्त था। अतः यह कथन सत्य नही है कि उनके पास तीन वर्ष का प्रशासनिक/शोध का अनुभव नहीं है। उनकी प्रतिनियुक्ति के प्रकरण को पृथक से निर्णित किया गया है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा समिति की राय से सहमति व्यक्त की। अतः अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) श्री प्रकाश सारण की सहायक कुलसचिव पद पर नियुक्ति :–

समिति अनुशंसा :– इस सम्बन्ध में समिति की राय है कि प्रमाण पत्रों के आधार पर श्री सारण 5 शैक्षणिक सत्र से अधिक समय से अध्यापन का कार्य कर रहे थे तथा प्रत्येक सत्र छः माह से अधिक का रहा है। अतः उनके पास 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव है। अतः यह कथन सत्य नही है कि उनके पास तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव नहीं है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा समिति की राय से सहमति व्यक्त की। अतः अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(ड.) श्री गजेन्द्र सिंह जोधा, श्री राघव पुरोहित एवं श्रीमती सुनीता चौधरी की अनियमित प्रतिनियुक्ति के प्रकरण :–

समिति अनुशंसा :– समिति का निष्कर्ष है कि नियुक्ति से कुछ महीनों में ही प्रतिनियुक्ति करना तथा वे भी परीवीक्षाकाल पूर्ण होने से पूर्व ही प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है।

जिस तरह से प्रतिनियुक्तियां की गई और श्री जोधा और श्रीमती चौधरी का विभागों में समायोजन किया गया उससें इस आशंका को बल मिलता है कि उनका चयन अन्यत्र समायोजन के लिए ही किया गया था।

निर्णय :–प्रबन्ध मण्डल ने समिति की इस सम्बन्ध में अनुशंसा को स्वीकार करते हुए माननीय महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति को निवेदन करने का निर्णय लिया कि वे इन प्रतिनियुक्ति प्रकरणों और पश्चातवर्त्ती समायोजन के बारे में म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमों और कार्यालय आदेश दिनांक 03–12–2005 के आलोक में जाँच करावें।

बिन्दु संख्या 6 तदर्थ नियुक्तियां आदि के सम्बन्ध में :–

समिति अनुशंसा :– स्टॉफ की कमी को देखते हुए तदर्थ नियुक्तियां जिनमें सेवानिवृत कर्मचारियों की नियुक्तियां भी शामिल है प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के पश्चात की गई।

निर्णय :– अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु संख्या 7 कुलपति आवास बिजली पानी बिल :–

समिति अनुशंसा जहां तक कुलपति आवास के पानी–बिजली के बिलों के भुगतान का प्रश्न है समिति ने यह अनुशंसा की है कि कुलपति निवास में संचालित कार्यालय एवं आवास के अलग–अलग मीटर होने चाहिए। यदि यह संभव नही हो तो वर्तमान में कुलपति महोदय को पानी और बिजली के व्यय का उपयुक्त हिस्सा जो कि आवास के लिए जरूरी है चुकाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि कि वर्तमान में कुलपति आवास में सब मीटर लगवाकर आवासीय हिस्से में उपभोग मात्रा का देय भुगतान कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाया जा रहा है। पूर्व कुलपतियों के कार्यकाल में पानी–बिजली के बिलों का भुगतान प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है।

निर्णय :– प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 8 परीक्षा अनुभाग में नियुक्त कार्मिक :–

समिति अनुशंसा :– जहां तक परीक्षा अनुभाग में कार्मिको की नियुक्ति का प्रश्न है कुलसचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं परीक्षा में बैठ रहा है या उसका निकट सम्बन्धी परीक्षा में बैठक रहा है उसकी नियुक्ति परीक्षा अनुभाग में न की जावें। अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा की निरन्तर पालना की जा रही है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

(II) वित्तीय अनियमितता :–

समिति अनुशंसा :– वित्तीय अनियमितता जो संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट में बताई गई है वे मुख्य रूप से वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक की अवधि की है और महालेखाकार परीक्षा द्वारा इस अवधि के खातों का अंकेक्षण किया गया है। अंकेक्षण दल द्वारा जांच उपरान्त विभिन्न वित्तीय अनियमितताए बताई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनके उपयुक्त जवाब भी प्रेषित किये है और बहुत से आक्षेप महोलखाकार परीक्षा द्वारा निरस्त भी किये जा चुके है और कुछ वर्तमान में भी विचाराधीन है। समिति ने यह अनुशंसा की है कि प्रबन्ध मण्डल महालेखाकार परीक्षा के निर्देशानुसार संबंधित मामलों में अपेक्षित कार्यवाही करे तथा तद्नुसार उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करे।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त समिति के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर विश्वविद्यालय के बकाया आक्षेपों को नियमानुसार निरस्त करवाने के लिए वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया। प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि महालेखाकार परीक्षा द्वारा बकाया आक्षेपों के बारे में जो निर्देश दिए जाते है आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर तद्नुसार कार्यवाही की जावें।

(III) शैक्षणिक अनियमितता :–

समिति अनुशंसा :– जहां तक कथित शैक्षणिक अनियमितता का प्रश्न है रिपोर्ट में मुख्यतः विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर प्रक्रियात्मक कमियों को इंगित किया गया है। इसलिए प्रबन्ध मण्डल चाहे तो संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के सुझाव संख्या 1,2,3,5,8,9,10,12,13 एवं 14 की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए स्वीकार कर सकत है। जहां तक सुझाव संख्या 4,6,11 एवं 16 का प्रश्न है इनके विस्तृत निहितार्थ है अतः इनके बारे में राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती है।

निर्णय :– समिति के इन सुझावों को स्वीकार करते हुए प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में आवश्यक कार्यवाही के लिए रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार जाँच समिति की रिपोर्ट एवं प्रबन्ध मण्डल के निर्णय से राज्य सरकार को सूचित किया जावें।

आईटम संख्या : मगसिबवबी/बोम–17/2011/191

महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति नही करने पर उनके विरूद्व की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

प्रायः ऐसा देखने में आ रहा है कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में संचालित कुछ महाविद्यालय निर्धारित संबद्धता शर्तों की पालना नहीं कर रहे हैं। विद्या परिषद के निर्णय एवं प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन पश्चात ऐसे महाविद्यालयों पर गत सत्रों में योग्यताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं करने तथा वांछित मात्रा में एण्डोमेण्ट फण्ड का संधारण नहीं करने के कारण शस्ति आरोपण की कार्यवाही भी विश्वविद्यालय द्वारा की जाती रही है। ऐसे महाविद्यालयों द्वारा शास्ति विश्वविद्यालय में जमा करवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली जाती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। अतः ऐसे महाविद्यालय जिन पर सत्र 2011–12 से पूर्व दो या दो से अधिक बार शास्ति आरोपित करने के बावजूद अभी भी शर्तो की पालना नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्व शास्ति के अतिरिक्त अन्य उचित कार्यवाही किया जाता प्रस्तावित है क्योंकि अन्य कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में महाविद्यालय शास्ति तो जमा करवा देते हैं परन्तु शर्तों की अनुपालना फिर भी नहीं करते हैं।

वर्तमान में शर्तों की अनुपालना नहीं होने पर महाविद्यालयों पर निम्न प्रकार शास्ति आरोपित की जा रही है :–

विवरण	शास्ति राशि	
	प्रथम बार	द्वितीय बार
(1) योग्यता धारी व्याख्याताओं की स्थिति		
अ. 50 प्रतिशत से कम होने पर	30,000/–	60,000/–
ब. 50–75 प्रतिशत तक	15,000/–	30,000/–
(2) एण्डोमेंट फण्ड का निर्माण न करने पर	15,000/–	30,000/–

निर्णय :– कतिपय महाविद्यालयों द्वारा निरन्तर सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति नहीं करने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा कडा रूख अपनाते हुए सर्वसम्मति से सत्र 2011–12 से निम्नानुसार शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

विवरण	प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार शास्ति	
	प्रथम बार	द्वितीय बार
(1) योग्यता धारी व्याख्याताओं की स्थिति		
अ. 50 प्रतिशत से कम होने पर	2.00 लाख	5.00 लाख
ब. 50–75 प्रतिशत तक	1.00 लाख	3.00 लाख
(2) एण्डोमेंट फण्ड का निर्माण न करने पर	50.00 हजार	वांछित एण्डोमेट फण्ड के समान राशि

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि दो बार शास्ति आरोपित करने के बाद भी महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्वता शर्तो की पालना नही की जाती है तो महाविद्यालय की सम्बद्वता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें। माननीय सदस्य श्री दौलत राज नायक ने अवगत करवाया कि महाविद्यालयों के भवन भी निर्धारित आकार में नही बने हुए है तथा एक ही भवन में एक से अधिक महाविद्यालय/विद्यालय संचालित हो रहे है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों के लिए निर्धारित मापदण्डानुसार आवश्यक एवं उपलब्ध संसाधनों यथा भवन, भूमि एवं स्टाफ का विवरण तैयार किया जाए एवं राज्य सरकार/NCTE द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार भवन, भूमि, पुस्तकालय, खेल मैदान आदि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने वाले महाविद्यालयों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे। प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार ऐसे महाविद्यालयों को अप्रेल, 2012 तक सम्बद्धता के सम्पूर्ण मापदण्ड पूर्ण करने का नोटिस दिया जावे जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि मापदण्ड पूर्ण नहीं करने पर सत्र 2012–13 से सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत स्टॉफ की योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन :– माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 10–12–2011 तक शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना था। निर्धारित अवधि तक 65 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा उनमें कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया गया। निर्धारित अवधि के पश्चात आज दिनांक तक 30 शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के पश्चात मूल प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा कर लिये गये है। शेष 11 शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा आज दिनांक तक भी शैक्षणिक स्टाफ के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नही करवाया गया है, जो विश्वविद्यालय के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए ऐसे शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर 2.0 लाख की शास्ति आरोपित करते हुए 15 दिवस में शैक्षणिक स्टाफ के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद भी सत्यापन नहीं कराने पर सम्बद्धता समाप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

आईटम संख्या : मगसिबवबी/बोम–17/2011/192

पाठ्यक्रम (पार्ट–प्रथम एवं द्वितीय) के संचालन की समाप्ति पर सम्बद्वता शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के क्षेत्राधिकार महाविद्यालयों को नवीन सम्बद्वता प्रदान करने पर किसी भी पाठ्यक्रम का संचालन क्रमवार वर्षो में किया जाता है। यथा प्रथम सत्र में पार्ट–प्रथम एवं आगामी सत्रों में क्रमशः पार्ट–द्वितीय एवं पार्ट–तृतीय आदि। इसी प्रकार महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम का संचालन समाप्त करते समय भी क्रमवार ही पार्ट प्रथम से संचालन समाप्त किया जाता है। नवीन सम्बद्वता प्रदान करने के समय पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में सम्बद्वता शुल्क विश्वविद्यालय नियमों में निर्धारित हैं किन्तु किसी पाठ्यक्रम का संचालन समाप्त करने पर पाठ्यक्रम के पार्ट प्रथम की समाप्ति वर्ष से ही लिया जाना बंद किया

जाए अथवा सभी पार्ट की समाप्ति उपरान्त बंद किया जाए, इसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है। तथापि महाविद्यालयों द्वारा द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत् विद्यार्थियों से शुल्क वसूल किया जाता है।

अतः किसी महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम (पार्ट–प्रथम एवं द्वितीय) का संचालन समाप्त करने पर सम्बद्वता शुल्क वसूली के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर पाठ्यक्रम का पूर्ण रूप से संचालन समाप्त होने (अंतिम वर्ष) तक महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।

आईटम सं. :मगंसिविबी/बोम–17/2011/193

एच.के.एम. महाविद्यालय, घसाना एवं एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावलामंडी को पुनः परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में :–

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 06.12.2010 में एच.के.एम. महाविद्यालय, घड़साना (श्रीगंगानगर) एवं एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावलामण्डी (श्रीगंगानगर) को परीक्षा 2012 में पुनः परीक्षा केन्द्र बहाल करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करवाए जाने का निर्णय लिया गया था। निर्देशानुसार श्री जसवन्त सिंह खीचड़ उप कुलसचिव को उक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 12.10.2011 के द्वारा निरीक्षक नियुक्त किया गया था।

श्री खीचड़ ने सम्बन्धित महाविद्यालयों की बुनियादी संरचना, महाविद्यालयों में नियुक्त प्राचार्य एवं संकाय प्राध्यापकों की पात्रता, परीक्षा केन्द्र द्वारा बैठाये जाने वाले परीक्षार्थीयों की क्षमता, बैठक व्यवस्था, विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रश्न–पत्रों एवं परीक्षा पश्चात् उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित रखे जाने वाले स्ट्रांग रूम की स्थिति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त दोनों कॉलेजों की अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं, जो बोम के समक्ष अवलाकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

संलग्न :
1. निरीक्षण रिपोर्ट – एच.के.एम. महाविद्यालय, घड़साना (श्रीगंगानगर)।
2. निरीक्षण रिपोर्ट – एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावलामण्डी (श्रीगंगानगर)।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। घड़साना एवं रावलामण्डी में वर्तमान में उपलब्ध परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजन में होने वाली कठिनाई के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल द्वाराएच.के. एम. महाविद्यालय, घडसाना एवं एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावलामंडी के परीक्षा केन्द्र इस शर्त पर बहाल करने का निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दौरान दोनो केन्द्रों में विश्वविद्यालय की ओर से केन्द्राधीक्षक/पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे तथा इन महाविद्यालयों के छात्रों का परीक्षा केन्द्र अन्य महाविद्यालय में रखा जाएगा।

आईटम संख्या : मगसिबवबी/बोम–17/2011/194
विश्वविद्यालय में खेलकूद गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यरत कार्मिकों को परिवहन भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय में खेल निदेशक का पद उपलब्ध नही होने के कारण सत्र 2010–11 से श्री हुकम चंद ओझा (शारीरिक प्रशिक्षक, राजकीय डूंगर महाविद्यालय,बीकानेर) एवं श्री सुरेन्द्र पुरोहित (शारीरिक प्रशिक्षक, द्वारका शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नाल बीकानेर) की विश्वविद्यालय में अन्तर महाविद्यालयीय एवं अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु सेवाएं ली जा रही है। उक्त गतिविधियों के संचालन के लिए श्री ओझा एवं श्री पुरोहित को अपने वाहन ही से कार्यरत संस्थान से विश्वविद्यालय आना होता है। साथ ही खिलाडियों को अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता भाग लेने हेतु भेजने के लिए टिकिटों का आरक्षण करवाने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं खेलकूद सामग्री क्रय करने एवं खिलाड़ियों के ठहराव हेतु धर्मशाला एवं बाजार जाना होता है। इसी क्रम में उक्त कार्मिक अपने मोबाईल का उपयोग कर अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं खिलाडियों से दूरभाष पर वार्ता सम्पर्क स्थापित करते है। इन दोनों कार्मिको को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति एवं दैनिक भत्ते के रूप में कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अतः इनके द्वारा किये जा रहे परिवहन व्यय आदि की क्षतिपूर्ति के रूप में माह सितम्बर, 2010 से श्री ओझा को 2,000/– प्रतिमाह एवं श्री पुरोहित को 1500/– प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ते के भुगतान की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त सितम्बर, 2010 से श्री हुकम चंद ओझा, शारीरिक प्रशिक्षक, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर को 2,000/– प्रतिमाह एवं श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, शारीरिक प्रशिक्षक, द्वारका शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर को 15,00/– रूपये प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव